संख्या–1/2023/ए-1-22 /दस-2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

(4) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

(5) समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 27 जनवरी, 2023

विषय: डी0डी0ओ0 पोर्टल (upkosh.up.nic.in) पर राज्य कर्मचारियों के Employee Beneficiary Master File के रख-रखाव के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/ए-1-394/दस-2022, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी0डी0ओ0 पोर्टल पर Employee Beneficiary Master File में कार्मिकों के विवरण शुद्ध रूप से रक्षित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रियान्वयन में आ रही कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के प्रस्तर 3 (v) को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

"(v) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) से आच्छादित कार्मिकों के PRAN पंजीकरण के अभाव में कार्मिकों के वेतन का भुगतान न रोका जाये। कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करायेंगे कि एन०पी०एस० से आच्छादित कार्मिकों को PRAN का आवंटन तत्परता से करा दिया जाये तथा कार्मिकों का एन०पी०एस० में अभिदान सुनिश्चित किया जाये। PRAN पंजीकरण की कार्यवाही की प्रगति का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।"

कृपया उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कराते हुये कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ.प्र. को उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in